



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 651) पटना सोमवार 28 सितम्बर 2020

सं0-14/विधि-07/2020-1544 (14)
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

28 सितम्बर 2020

विषय:- लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उप चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कर्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) का हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 2442(14) दिनांक-24.11.2004 के द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा आम चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के घायल होने की स्थिति में अधिकतम एक लाख रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

2. निर्वाचन कर्तव्य के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सीय व्यय हेतु निर्धारित उक्त अधिकतम सीमा को हटाया/खत्म किया जाना साथ ही निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों के अलावे अन्य कर्मियों यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि जो निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त होते हैं, को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी सुविधा उनके समतुल्य श्रेणी (Category) के सरकारी सेवकों के अनुसार दिया जाना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् प्रावधान किये जाते हैं :-

- (i) लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उप चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य के दौरान प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कर्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) का हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में निकटतम चिकित्सालयों, निबंधित नर्सिंग होम और निबंधित बाह्य चिकित्सकों में से जो निकटतम होंगे वहीं प्रारंभिक चिकित्सा करायी जायेगी। तत्पश्चात् चिकित्सा पर हुये व्यय की

वास्तविक राशि की गणना एवं इसकी प्रतिपूर्ति की अनुशंसा संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

- (ii) उक्त अनुशंसा के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं होगी, परंतु संबंधित कर्मी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा पर की गई व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति अन्य किसी विभाग/कार्यालय/संस्था आदि से प्राप्त नहीं की गई है तथा संबंधित जिला पदाधिकारी सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत्यादेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं स्वीकृत्यादेश में सन्निहित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी और उनके द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (iii) निर्वाचन कर्तव्य जो भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-218/6/2009/EPS/दिनांक-17.02.2009 में परिभाषित है "A Person is to be treated on election duty as soon as he leaves residence/office to report for any election related duty including training and until he reaches back his residence/office after performance of his election related duty. If any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on election duty subject to condition that there should be a casual connection between occurrence of death/injury and the election duty." के आलोक में निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों से तात्पर्य प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों एवं अन्य गैर सरकारी कर्मियों यथा -मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि जो निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त है, से होगा।
- (iv) सरकारी कर्मियों का अपने मूल पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के पश्चात् उनके लिये लागू चिकित्सीय प्रतिपूर्ति से संबंधित नियम प्रभावी होंगे।
- (v) निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को लोकसभा चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा तथा विधान सभा/विधान परिषद् चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा एवं लोकसभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50:50 के अनुपात में नियमानुसार देय होगी। लोकसभा चुनाव के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग सं0-06, मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोकसभा निर्वाचन के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय एवं विधानसभा/विधान परिषद् चुनाव के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष-106-राज्य /संघ राज्य के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-राज्य विधान सभा निर्वाचन/उपशीर्ष 0002-राज्य विधान परिषद् निर्वाचन के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय से नियमानुसार भुगतान होगा।

4. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-2442(14), दिनांक 24.11.2004 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

5. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 651-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>